U;k;ky; fMoh tuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh %ch- ,y- dkBkjh] vkbZ-,-,l

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 125/2016

vihykUV बनाम **jLikMUVl**

1. गोविन्दराम पुत्र सूरजमल निवासी– जूनी बागर, महामंदिर, जोधपुर
2. चन्द्रसिंह पुत्र सूरजमल निवासी– भदवासिया, मालियों का बेरा, जोधपुर

1. श्रीमती लीला पुत्री सूरजमल पत्नी रूपसिंह निवासी– भदवासिया, हाल– भूंटिया, सूरसागर, जोधपुर
2. किशनसिंह पुत्र सूरजमल के का.मु
   1. विजयसिंह पुत्र सूरजमल निवासी– भदवासिया, मालियों का बेरा, जोधपुर
   2. श्रीमती कमला पुत्री सूरजमल पत्नी केवचन्द, निवासी सोजतसिटी,
3. ओमप्रकाश पुत्र सूरजमल निवासी– जूनी बागर, महामंदिर, जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.03.2015 जो जिला कलक्टर जोधपुर ने राजस्व अपील संख्या 51/2012 अनवान लीला बनाम किशनसिंह वगैरा में पारित किया

mifLFkfr%&&

1. श्री मनोहरसिंह, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से उपस्थित।
2. श्री हरिसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो0 सं 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री अक्षयदवे, अधिवक्ता रेस्पो0 सं 2 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बावजूद तामीली सूचना के अनुपस्थित।
3. श्री ओमप्रकाश चौधरी, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 सं 4 की ओर से उपस्थित।

fu.kZ;

fnukad 09 fnlEcj] 2019

1. अपीलान्टस की ओर से यह द्वितीय राजस्व अपील विद्वान जिला कलक्टर जोधपुर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 51/2012 अनवान लीला बनाम किशनसिंह

वगैरा में दिनांक 17.03.2015 को पारित किये गये अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिभाषकों की बहस सुनी।

3. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 2, 3 एवं अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रथम अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 385 दिनांक 21.4.2000 जो तहसीलदार जोधपुर के द्वारा स्वीकृत किया गया है उसमें मृतक खातेदार सूरजमल जो कि हम पक्षकारान के पिता है, के मृत्यु उपरान्त रेस्पो0 संख्या एक को बिना नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये व बिना जॉच किये स्वीकृत कर दिया जबकि नामा0 स्वीकृति के समय अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या दो व तीन के अतिरक्त वह भी रेस्पो0 संख्या 1 पुत्रीं के रूप में उनकी वारिसान है। ऐसे में उनका नाम भी राजस्व रेकर्ड में वारिसान के रूप में दर्ज किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2015 के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक की अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 385 को सूरजमल के कायम मुकाम के नाम की सीमा तक निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि वे मृतक खातेदार सूरजमल के विधिक वारिसानों तथा अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः नामा0 की कार्यवाही करे।

4. अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा प्रथम अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर पेश की गई थे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या एक को अपीलाधीन नामा0 की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है।

5. अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 विरासत के रूप में अमल दरामद नहीं हुआ था, बल्कि सहायक कलेक्टर, जोधपुर के द्वारा बंटवाडे बाबत पारित की गई डिक्री दिनांक 27.12.99 की अनुपालना में स्वीकृत किया था, जिसके अनुसार सूरजमल के कायम मुकाम किशनसिंह, ओमप्रकाश, गोविन्दसिंह, चन्दसिंह, सोहनसिंह, यशोदादेवी, धनी को देहखातेदार अमल दरामद किया गया था। यदि रेस्पो0 संख्या एक का नाम न्यायालय के आदेश की अनुपालना में नहीं आने की स्थिति में उन्हें उच्चतर न्यायालय में अपील करके चुनौती देकर निर्णय करवाना चाहिये था और जब तक सहायक कलेक्टर द्वारा पारित डिक्री के सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का निर्णय नहीं दिया जाता तब तक उसकी पालना में स्वीकृति नामा0 को किसी भी प्रकार से न तो निरस्त किया जा सकता है। ऐसे में रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा प्रथम अपील में चाहा गया अनुतोष प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा नहीं दिया जा सकता था।

6. अपीलान्टस के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया कि वादग्रस्त खसरान की भूमि में मूल स्वरूप में वर्तमान में बहुत परिवर्तन हो चुका है तथा अन्य लोगों को हस्तान्तरित भी हो गई जिन्हें बिना सुने अपीलाधीन नामा0 को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं था। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपील में प्रभावित पक्षकारों को रेस्पो0 पक्षकार भी नहीं बनाया। इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण योग्य होने से निरस्त योग्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार अपील को स्वीकार किया जावे तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर नामा0संख्या 385 को बहाल रखा जावें।

7. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि रेस्पो0 के पिता स्व0 सूरजमल की सहखातेदारी की वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान के पिता सूरजमल के जीवनकाल में जायदाद बंटवाडे हेतु सहखातेदारों के बीच एक वाद संख्या 106/87 सहायक कलेक्टर जोधपुर के समक्ष पेश किया जिसमें पक्षकारान द्वारा राजीनामा कर दिया और जरिये राजीनामा डिक्री किया गया जिसके अनुसरण में दिनांक 27.12.1999 को डिक्री पारित हुई।

8. उक्त वाद में रेस्पो0 संख्या एक को भी सहखातेदार सूरजमल के वारिसान के रूप में पक्षकार बनाया गया था। परन्तु अपीलाधीन नामा0 की जानकारी दिनांक 12.7.2012 को हुई थी। उक्त नामा0 उसको सुनवाई का अवसर दिये बिना ही स्वीकृत किया था तथा मृतक सहखातेदार के वारिसानो जिसमें उनके भाईयों, अपीलान्ट संख्या एक व दो तथा रेस्पो0 संख्या 2 व 3, उनकी माता एवं उसकी एक बहन धनी का नाम दर्ज करते हुए स्वीकृत किया गया जबकि उसका नाम भी बंटवाडा दावा में अंकित था, तहसीलदार जोधपुर ने अपीलाधीन नामा0 में उसका नाम जानबूझकर दर्ज नहीं किया जिससे उसके वादग्रस्त भूमि में हिस्सा भूमि वंचित हो गइ। अतः निर्णय डिक्री अनुसार एवं सहखातेदार मृतक सूरजमल की प्रथम श्रेणी की वारिसान होने के कारण अपीलाधीन नामा0 में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु उसके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य अंकित करते हुए प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसे श्रीमान जिला जिला कलेक्टर ने स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 को निरस्त करते हुए मृतक खातेदार सूरजमल के हक–हिस्से वाली भूमि में डिक्री दिनांक 27.12.99 के अनुसार नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित करने के जो आदेश पारित किये है जो विधि अनुकूल उचित है जिसे यथावत बहाल रखा जावे।

9. रेस्पो0 संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि सहायक कलेक्टर जोधपुर द्वारा पारित उक्त डिक्री आदेश की अनुपालना में अपीलाधीन नामा0 संख्या 385 स्वीकृत किया गया था जो बहाल रखा जावे। रेस्पो0 संख्या एक की प्रथम अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर थी जिसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं था। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोडेन्टस संख्या एक की प्रथम अपील में म्याद बाबत दर्शाये गये बिन्दूओं का सही आकलन व परिक्षण नहीं किया और न ही विधिक राय प्रकट की है। ऐसे में अपीलाधीन

आदेश विधि अनुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन नामा0 को बहाल रखा जावें।

10. हमने दोनों पक्षों के द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2015 के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक की अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 385 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये कि वे उक्त प्रकरण में सहायक कलेक्टर (मु0) जोधपुर के राजस्व वाद संख्या 106/87 ओमकुमारी बनाम सूरजमल के कायम मुकाम के राजीनामा निर्णय व डिक्री दिनांक 27.12.99 के गहनता से अध्ययन कर मृतक खातेदार सूरजमल के विधिक वारिसानों तथा अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः नामा0 की कार्यवाही का दो माह में निस्तारण करे।

11. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एम0एस0 राठौड का यह कथन कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय में धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विस्तृत निर्णय नहीं दिया, मानने योग्य नहीं है क्योंकि विद्वान पीठासीन अधिकारी प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर ने अपने निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि ''अपील की बहस में राजीनामा के जरिये वाद के निर्णय व डिक्री के अनुसार नामा0 स्वीकृत होने से अपील चलने योग्य है या नहीं, यह बिन्दु अपील के गुणावगुण निर्णय में तय किया जायेगा। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील में हुए विलम्ब को क्षमा (Condone) करते हुए अपील मियाद शुमार की जाती है।

12. हम विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के इस कथन से सहमत है कि नामा0 संख्या 385 फौतेदगी नामा0 के रूप में नहीं भरा गया है। नामा0 संख्या 385 के रिमार्क कॉलम के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह नामान्तरकरण ''श्रीमान न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु0) जोधपुर द्वारा पारित बंटवाडे की अन्तिम डिक्री संख्या 106/87 दिनांक 27.12.99 की पालना'' में भरा गया है। अतः जब तक निर्णय दिनांक 27.12.99 को सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर अपास्त या परिवर्तित या संशोधित नहीं करा लिया जाता है, तब तक उक्त नामा0 संख्या 385 को अपीलीय न्यायालय में विरासत के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन डिक्री दिनांक 27.12.99 की पालना में यदि म्यूटेशन संख्या 385 गलत भरा गया हो तो उसको भी चुनौती दी जा सकती है एवं समीक्षा भी की जा सकती है। माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर जोधपुर ने मुकदमा संख्या 106/87 में निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.99 में 27.12.99 की आदेशिका के बिन्दू संख्या 2 में निम्न आदेश प्रदान किये गये थेः——

> **''प्रतिवादी स्व0 सूरजमल के कायम मुकान किशनसिंह, ओमप्रकाश वगैराह के बंट में ख0सं0 23 में से 2 बीघ साढे ग्याहर बिस्वा भूमि रखी जाती है जो संलग्न नक्शे में ''ब'' भाग दर्शाया गया है। इन सभी ने उक्त 51.5 बिस्वा भूमि का भी आपस में संलग्न नजरी नक्शे**

में बताये अनुसार बंटवाडा कर लिया है। जिसके अनुसार प्रतिवादी 1/2 किसनसिंह पुत्र स्व0 सूरजमल के हिस्से में 7.28 बिस्वा भूमि रखी जाती है। इसी माफिक नजरी नक्शे में प्रतिवादी 1/6 सोहनसिंह पुत्र सूरजमल के हिस्से में बताये अनुसार इनके हक में 7. 28 बिस्वा भूमि रखी जाती है जो ''ब'' भाग में दक्षिण की तरफ है। शेष 71.5 बिस्वा में से बची हुई भूमि प्रत्येक के 7.28 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1/1 श्रीमती टिल्ली पत्नि सूरजमल, 1/3 ओमप्रकाश पुत्र सूरजमल, 1/4 गोविन्दराम पुत्र सूरजमल, 1/5 चन्द्रसिंह पुत्र सूरजमल, 1/8 लीला पत्नि रूपसिंह के हिस्से में रखी जाती है जो नजरी नक्शे में 'ब' भाग में उत्तर की तरफ कायम की जाती है।''

जबकि नामा0 सं0 385 के कॉलम संख्या 9 के क्रम संख्या 3 पर निम्नानुसार दर्ज किया गया हैः——

''किशनसिंह उर्फ किशनलाल, ओमप्रकाश, गोविन्दसिंह, चन्द्रसिंह, सोहनसिंह पुान सूरजमल, यशोदादेवी बेवा सूरजमल, धनी पुत्री सूरजमल माली साकिन देह खातेदार''

13. इस प्रकार स्वीकृत नामा0 संख्या 385 में आदेश व डिक्री दिनांक 27.12.99 में वर्णित खातेदार सूरजमल की पुत्री लीला पत्नी रूपसिंह का नाम छोड दिया गया है। व अन्य पुत्री धन्नी पुत्री सूरजमल का नाम शामील किया गया जबकि उक्त आदेश व डिक्री में उसका कहीं उल्लेख नहीं है।

14. साथ ही उक्त आदेश व डिक्री दिनांक 27.12.99 की पालना में दर्ज किये गये अपीलाधीन नामा0 संख्या 385 के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि उसमें डिक्री अनुसार पक्षकारान के नाम गलत रूप से यानि गोविन्दराम के स्थान पर गोविन्दसिंह दर्ज किये जाने एवं डिक्री व आदेश में धनी पुत्री सूरजमल का नाम न होते हुए भी उसका नाम नामा0 दर्ज किये जाने में ततकालीन पटवारी, भू0अ0निरीक्षक एवं तहसीलदार के द्वारा गंभीर त्रुटि एवं लापरवाही बरती गई है।

15. जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु जिला कलेक्टर जोधपुर को निर्णय की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त नाम0 की कार्यवाही सम्पादित करने वाले ततकालीन पटवारी, भू0अ0निरीक्षक एवं तहसीलदार वर्तमान में सेवारत है तो उनके विरूद्ध सी0सी0ए0 नियमों के तहत कार्यवाही सम्पादित की जाकर न्यायालय हाजा को अवगत करावें।

16. इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामा0 संख्या 385 डिक्री व आदेश दिनांक 27.12.99 के अनुसार नहीं खोला गया है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर ने अपने आदेश दिनांक 17.3.105 में नामा0 संख्या 385 को स्व0 सूरजमल के हिस्से की सीमा तक निरस्त कर मुताबिक आदेश व डिक्री दिनांक 27.12.99 के अनुसार पुनः नामा0 कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित करने में कोई गलती नहीं की है लेकिन जिला कलेक्टर जोधपुर ने अपने निर्णय में मृतक

सूरजमल के विधिक वारिसान की जॉच करने का आदेश दिया है, वह उचित प्रतीत नहीं होता है।

17. अतः उपरोक्त विवेचन एव विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है विद्वान जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश दिनांक 17.3.15 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि प्रकरण न्यायालय सहायक कलेक्टर (मु0) जोधपुर के मुकदमा संख्या 106/87 में जारी आदेश व डिक्री दिनांक 27.12.99 के अनुसार नामा0 संख्या 385 को स्व0 सूरजमल के हिस्से की सीमा तक निरस्त करते हुए पुनः डिक्री व आदेश अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बी0एल0 कोठारी)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर